परिशिष्ट - 2

जिला गजेटियर के अध्याय - शीर्षक और अन्तर्वस्तु

(केन्द्रीय गजेटियर यूनिट, नई दिल्ली से प्राप्त)

अध्याय - 1 : सामान्य

(क) परिचय

1- जिला के नाम की व्युत्पत्ति ।

2- जिले की अवस्थिति, सामान्य सीमाएँ, कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या ।

3- एक प्रशासनिक यूनिट के रूप में जिले का इतिहास तथा इसके अंगभूत भागों में परिवर्तन ।

4- अनुमंडल, तहसील और थाना ।

टिप्पणी - सुविधा के लिए प्रशासन संबंधी अध्याय में इन विषयों के बारे में सामान्य उल्लेख [illegible] है ।

(ख) स्थलाकृति

1- प्राकृतिक विभाग : ऊँचाई, आकृति आदि ।

2- पहाड़ियाँ : पर्वत- तंत्र जिसके अंतर्गत वे आती हैं, मुख्य शिखर, ऊँचाई, स्थिति, वनस्पति आदि ।

3- प्लेटो और समतल मैदान : समुद्र से ऊँचाई में अन्तर और प्राकृतिक जल निकास का मार्ग ।

4- मरूभूमि ।

5- सामुद्रिक किनारा : लम्बाई, खाड़ियाँ, प्राकृतिक बन्दरगाह, द्वीप आदि ।

(ग) नदीतंत्र और जलस्रोत

1- मुख्य एवं सहायक नदियाँ : नदियों से [illegible] पौराणिक एवं ऐतिहासिक धारणायें, लम्बाई, नदीतल का आकार-प्रकार और उनके प्रवाह में समय-समय पर होनेवाले परिवर्तन, जलप्रपात, जलमात्रा और विभिन्न मौसमों में नौचालन की दृष्टि से होनेवाले घट-बढ़ आदि, अन्य विशेषताएँ जैसे नहरों के निर्माण, बाढ़ आदि के द्वारा क्षेत्रीय आकृति में होनेवाले परिवर्तन ।

2- झील और तालाब : अवस्थिति, क्षेत्र, जलमात्रा, उपयोगिता आदि ।

3- झरने और उनके उद्गमस्थान : अवस्थिति, उपयोगिता आदि ।

4- हिमक्षेत्र, ग्लेसियर, बर्फीली गुफाएँ आदि ।

5- भूगर्भ जलस्रोत ।

6- ज्वार जलमार्ग : उनके प्रवाह क्रम और महत्व । संछिद्रों एवं ज्वार की लहरों से खतरे ।

॥घ॥ भूतत्व

1- भूतत्वीय पुरातत्व ।

2- जिले का भूतत्वीय निर्माण ।

3- खनिज सम्पदा ।

4- खास बातें जैसे भूकम्प और धरती का डोलना ।

॥ङ॥ पेड़-पौधे या वनस्पतियाँ

1- जिले का वनस्पति विभाग और इसमें पाये जानेवाले पेड़-पौधों की किस्म जिसमें दुर्लभ पेड़-पौधों का विशेष उल्लेख हो ।

2- वन : वन का इलाका और क्षेत्रफल, वनों के प्रकार और उनमें पाये जाने-वाले पेड़-पौधों की किस्म । सरकारी वन नीति से जिले के पेड़-पौधों पर पड़ने वाले सामान्य प्रभाव । वन्य जीवन के संरक्षण के लिए शिकार कानून लागू करने से संबंधित कारवाई ।

॥च॥ पशु-पक्षी अथवा जन्तु

1- जिले में पाये जानेवाले विभिन्न प्रकार के जन्तु : स्तनपायी, पक्षी, सरीसृप, स्थल जलचर और मछलियाँ । विभिन्न प्रकार के जन्तु जो समाप्त होते जा रहे हैं ।
सरीसृप तथा अन्य पशुओं से मृत्यु ।

॥छ॥ जलवायु

1- वेधशालाओं की अवस्थिति ।

2- जलवायु विभाग और मौसम तथा उनकी अवधि ।

3- तापमान और आर्द्रता ।

4- वर्षा ।

5- वायुमंडलीय दबाव तथा हवाएँ, आँधी, चक्रवात आदि ।

अध्याय - 2 : इतिहास

(क) प्राक् इतिहास एवं पुरातत्व

(ख) प्राचीन काल

(ग) मध्य काल

(घ) आधुनिक काल

टिप्पणी :- अनुभागों के शीर्षक केवल विषय के सामान्य क्षेत्र बताने के लिए दिये गये हैं । स्थानीय इतिहास पर उचित प्रकाश डालने के लिए राज्य सम्पादक यदि इसमें परिवर्त्तन लाना आवश्यक समझते हों तो वे ला सकते हैं । अध्ययन मानक कृतियों पर आधारित होना चाहिए साथ ही ऐतिहासिक शोध की दिशा में अद्यतन होनेवाली प्रगतियों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए । अंग्रेजी शासन प्रारम्भ होने के पूर्व और तत्पश्चात् विद्रोह के बाद होनेवाली वैसी घटनाएँ जिन पर पुराने गजेटियरों में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है- उनपर पर्याप्त ध्यान दिया जाय । आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित मामलों पर उतना ही ध्यान दिया जाए जितना राजनीतिक इतिहास पर । उन्नीसवीं शताब्दी के लोक जीवन और लोकप्रिय आन्दोलन जिनकी ओर अबतक बहुत कम ध्यान दिया गया है - उन पर विशेष ध्यान दिया जाए । प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाली घटनाओं का ब्योरा जहाँ दिया जाए वहाँ बहुत अधिक वस्तुनिष्ठता की जरूरत है और विवेचन सर्वमान्य तथ्यों के वर्णन तक ही सीमित होना चाहिए । चूँकि सम्पूर्ण रूप से भारत के इतिहास की चर्चा अन्ततः केन्द्रीय गजेटियरों में होगी इसलिए जिला गजेटियरों में स्थानीय इतिहास और अखिल भारतीय महत्व की घटनाओं के मात्र स्थानीय स्वरूप की चर्चा ही उद्देश्य होना चाहिए । जहाँ तक श्रोत के रूप में ग्रहण करने का प्रश्न है स्थानीय अभिलेखागारों, पारिवारिक अभिलेखागारों

और धार्मिक एवं अन्य तरह की संस्थाओं से प्राप्त कागजातों का उपयोग किया जाए । ऐसे कागजातों का उल्लेख परिशिष्ट में किया जा सकता है उपयोग गजेटियरों के लेखनक्रम में किया जा सके । किन्तु अत्यन्त ऐतिहासिक महत्व के वैसे दस्तावेज जिन्हें गजेटियरों के अन्तर्गत युक्ति युक्त तरीके से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है उन पर गजेटियरों के लेखन-कार्य के सिलसिले में प्रकाश डाला जा सकता है । ऐसे दस्तावेजों की ओर राज्य सम्पादक का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ताकि गजेटियर स्कीम से बाहर उनका प्रकाशन निश्चित रूप से हो सके ।

अध्याय - 3 : जनसाधारण

(क) जनसंख्या

1- अनुमंडल, तहसील और थाना के अनुसार कुल जनसंख्या (पुरूष और स्त्री)। जनसंख्या की वृद्धि, उत्प्रवासन और आप्रवासन तथा इससे संबंधित समस्या ।

2- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विभाजन । शहरों अथवा गांवों की ओर जाने की प्रवृत्ति और इसके कारण ।

3- विस्थापित व्यक्ति ।

(ख) भाषा : मातृभाषा और द्विभा[illegible] के आधार पर जनसंख्या का क्षेत्रीय विभाजन । एक ही भाषायी समूह के अन्तर्गत बोलियों की विभिन्नता । प्रयुक्त लिपियां ।

(ग) धर्म और जाति : प्रमुख समुदाय, जातियां, वर्ग और जनजातियां: सामान्य ढाँचा, धार्मिक विश्वास, रीतिरिवाज । अन्तर्जातीय सम्बन्ध । नए धार्मिक नेता और धार्मिक आन्दोलन ।

टिप्पणी- जातियों और उपजातियों के जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त नहीं है, और उनको देने की जरूरत नहीं है । रीतिरिवाजों और अन्तर्जातीय संबंधों के बारे में सामान्य तौर पर चर्चा रहनी चाहिए ।

(घ) सामाजिक जीवन-

1- सम्पत्ति और उत्तराधिकार : संयुक्त परिवार प्रथा, मातृप्रधान प्रणाली और उत्तराधिकार के अन्य प्रकार, पुराने संयुक्त पारिवारिक संबंधों के

कमजोर पड़ते जाने के संकेत के रूप में वसीयतों के जरिए सम्पत्ति का हस्तान्तरण ।

2– शादी–विवाह और नैतिकता : एक पत्नीत्व, बहु पत्नीत्व एवं बहुपतित्व वैवाहिक सम्बन्धों पर परम्परागत रोक जाति एवं उपजाति, गोत्र, मामा अथवा उसके पुत्र के साथ विवाह आदि । वैवाहिक रीति–रिवाज और विधि विधान जिसके अन्तर्गत दहेज प्रथा का भी उल्लेख रहे । पुराने विचारों का घटता हुआ प्रभाव और अन्तर्जातीय एवं अन्तर–उपजातीय विवाहों का प्रचलन । सिविल विवाहों की संख्या । विवाह–आयु, विधवा विवाह/तलाक/स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता और समाज में उनका स्थान । वेश्यावृत्ति, वेश्यागमन, मद्यपान, जूआ आदि ।

3– घरेलू जीवन : विभिन्न प्रकार के [illegible], [illegible]सज्जा एवं उपस्कर, पोशाक एवं आभूषण, भोजन, आमोद–प्रमोद एवं पर्व–त्योहार आदि ।

4– धार्मिक जीवन : तीर्थस्थल एवं तीर्थयात्राएं । धार्मिक नाचगान, पर्व–त्योहार आदि । लोकप्रिय खेलकूद । मनोरंजन क्लब और मनोविनोद संबंधी समस्याएं ।

5– आर्थिक और व्यावसायिक समूह और सामाजिक जीवन से संबंधित वर्ग । जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का सामाजिक जीवन पर प्रभाव ।

टिप्पणी – पुराने गजेटियरों में मुख्यतः प्रत्येक जाति और जनजाति के रीति–रिवाजों, विधि विधानों और प्रचलित विश्वासों की चर्चा करने की परम्परा रही है । इस प्रयोजन के लिए पहले की अपेक्षा संक्षिप्त वर्णन ही इस दिशा में पर्याप्त मालूम पड़ता है । जो लोग विशेष ब्योरे में जाना चाहें वे पुराने गजेटियरों और सामाजिक मानव–विज्ञानों से संबंधित [illegible] सकते हैं । उन जातियों और जनजातियों के बारे में और अधिक चर्चा की जरूरत है जो सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वथा विशिष्ट और अपूर्व ढंग के हैं । पुराने गजेटियरों के आध्यात्मिक विश्वासों के प्रभाव पूर्ण प्रचलन तथा पुराने रीति–रिवाजों तथा विधि–विधानों के बरकरार रहने से संबंधित अतिरंजित चर्चा भी मिलती है । यदपि इस तरह के अध्ययन महत्व रखते हैं किन्तु जनसाधारण का सही चित्र ये उपस्थित नहीं कर पाते हैं । उच्चतर धार्मिक विचार धाराओं और साथ ही नये

धार्मिक और समाज सुधार के आन्दोलनों के प्रभाव पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अध्याय – 4 : कृषि और सिंचाई

(क) भूमि उद्धार और उपयोग:

1– कृषि योग्य बंजर भूमि : ऐसी बंजर भूमि का क्षेत्रफल । इसके उद्धार और उपयोग के मार्ग में आनेवाली कठिनाइयां और उन्हें उपयोगी बनाने केलिए किये गये उपाय ।

2– कृषि के निमित्त वनों की सफाई और दलदल भूमि का उद्धार जैसा कि बंगाल में सुन्दरवन में किया गया है ।

3– योजनाबद्ध वनरोपण द्वारा मरूभूमि के विस्तार को रोकने के निमित्त किए जानेवाले उपाय ।

(ख) सिंचाई :

1– सिंचाई संबंधी सुविधाएं : नदी, बांध और नहर, झील, तालाब, नलकूप, कुएं और जलापूर्ति के अन्य [illegible] । वर्षा पर निर्भरता की मात्रा । गीली और सूखी कृषि के अधीन क्षेत्र ।

2– फसलों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक बांध । भू-क्षरण ।

3– सिंचाई के निमित्त जल प्राप्ति के सम्भाव्य साधन तथा इसको और अधिक उपयोगी बनाने की सम्भावनाएं ।

(ग) कृषि जिसके अन्तर्गत बागवानी भी शामिल है :

1– मिट्टी और फसल : मिट्टी के स्वरूप और किस्म तथा विभिन्न फसलों की खेती की दृष्टि से उनकी उपयोगिता ।

2– प्रमुख और सहायक फसलें जिनमें नारियल, फल और सब्जी जैसी उद्यान संबंधी फसलें भी शामिल हैं : प्रत्येक फसल के लिए मौसम । सामान्य वर्षों के दौरान कृषि के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्रफल और उपज । प्रमुख विशेषताएं, खास फसलों की [illegible] में सरसरी तौर पर विशेष प्रकार की फसलों का उल्लेख किया जा सकता है ।

3– सिंचाई सुविधाओं के प्रसार एवं आधुनिक अर्थ व्यवस्था की जरूरतों के चलते विभिन्न प्रकार की फसलों वाले क्षेत्रों में परिवर्तन उदाहरणार्थ नगदी फसल जैसे रूई, जूट और ईख की कृषि का विस्तार ।

4- वैज्ञानिक ढंग से खेती की प्रगति ।

(1) कृषि के औजार : पुराने ढंग के औजार और इनके उपयोग की सीमा । साधारणत: मशीनी औजारों का उपयोग जिन्हें साधारणत: कृषक व्यक्तिगत रूप में रख सकते हैं । वृहत् पैमाने पर कृषि के यंत्रों का उपयोग जैसे ट्रैक्टरों का प्रयोग आदि ।

(2) बीज और खाद : विभिन्न फसलों को उगाने के मामले में बीजों और बिचड़ों के गुण पर ध्यान देना । फसलों का हेरफेर, जमीन को परती छोड़ना तथा कृत्रिम खादों के अन्य परम्परागत ढंगों का उपयोग आदि ।

(3) कृषि संबंधी बीमारियाँ और कीड़े : रोकथाम के लिए परम्परागत उपचार आजकल के वैज्ञानिक उपचार और इनकी लोकप्रियता की सीमा ।

(4) देहात की परिस्थितियों के अनुकूल खेतीबारी के वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग को निश्चित रूप से अंजाम देने के निमित्त कृषि विभाग तथा अन्य ऐजेंसियों के कार्य के साथ कृषि शोध केन्द्र एवं फील्ड स्टेशन । कृषि विद्यालय और महाविद्यालय आदर्श फार्म और प्रदर्शनी आदि ।

(घ) पशु पालन एवं मत्स्यपालन ।

1- चारा फसलों को उगानेवाले ।

2- दुग्ध उत्पादन (डेरी फारमिंग) : बड़े शहरों में दूध की आपूर्ति के लिए पास्टयुरीकरण और विशेष योजनाएँ ।

3- भेड़-पालन ।

4- कुक्कुट-पालन ।

5- मत्स्यपालन ।

6- नस्लों की गुणवत्ता सुधारने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गये उपाय : शोध केन्द्र, आदर्श फार्म, पुराने पशुओं को अलगाना , पशुमेला आदि ।

7- पशुरोग और पशुचिकित्सालय ।

8- 1952 से अबतक के पशु-आँकड़े ।

(ङ) वन :

1- जिले की अर्थव्यवस्था में वन का महत्व ।

2- वन उत्पादन : प्रमुख उत्पादन और उनके मूल्य ।

3- वैज्ञानिक उपयोग और विकास के निमित्त उपाय : शोध केन्द्र , वनविद्या (फौरेस्ट्री) के विद्यालय आदि ।

(च) कृषि और इससे संबंधित विषय : राज्य सरकार की सहायता : तकावी ऋण भूमि उद्धार के लिए ऋण , अर्थ साहाय्य आदि ।

(छ) बाढ़, अकाल और सूखा : कृषि और ग्रामीण जीवन पर उनके विपदापूर्ण प्रभाव का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवेचन और उन पर काबू प्राप्त करने के उपाय ।

नोट : बड़े पैमाने पर कृषि वन और पशु पालन संबंधी साधन श्रोतों के उपयोग के लिए निर्मित संस्थाओं पर खास ध्यान दिया जाए उदाहरण के तौर पर, कॉफी और चाय बगान आदि । कृषि उपज के उत्पादन एवं विपणन (मारकेटिंग) में सहयोग के बारे में भी खास ध्यान दिया जाए

अध्याय 5 : उद्योग

(क) प्राचीन काल के उद्योग : उन उद्योगों के जर्जर होने और नये उद्योगों के पनपने के कारण ।

(ख) विद्युत शक्ति : जल विद्युत स्टेशन और थर्मल स्टेशन । विद्युत आपूर्त्ति के अन्य साधन ।

(ग) जिले के उद्योग और निर्मित वस्तुयें ।

1- खनन एवं भारी उद्योग जैसे, कोयला खदान, जहाज निर्माण संबंधी उद्योग मशीन-औजारों और स्वचालित यंत्रों के निर्माण आदि ।

2- बड़े पैमाने पर उद्योग जैसे, कपड़े के कारखाने, जूट के कारखाने चीनी मील आदि ।

3- छोटे पैमाने के उद्योग, जैसे, चावल मील, बीड़ी के कारखाने आदि ।

4- कुटीर उद्योग जैसे, हथकरघा बुनाई, चटाई बनाना, कैची-चाकू बनाना और लकड़ी के सामान बनाना आदि ।

5- औद्योगिक कला जैसे, कालीकोट के नारियल के रेशे संबंधी कारीगरी के काम, मैसूर के चन्दन काष्ठ पर खुदाई के काम आदि ।

नोट : इन उद्योगों में से प्रत्येक के बारे में निम्नांकित विशेषताओं का विवेचन किया जाए : कारखानों का स्थान, वे कब आरम्भ किये गये कर्मचारियों की संख्या, पूँजी-निवेश, मजदूरी, कच्चे माल की आपूर्त्ति के श्रोत उत्पादन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण विशेषताएँ, तैयार माल और

उनकी खपत के लिए ... महत्वपूर्ण उद्योगों में से प्रत्येक का अलग-अलग विवेचन किया जाय किन्तु अन्य साधारण उद्योगों का विवेचन उपयुक्त समूह-शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है । उद्योगों के राजकीय अथवा म्यूनिसिपल प्रबंध तथा उनके सहकारी स्वामित्व एवं प्रबन्ध के बारे में भी खास तौर से उल्लेख किया जाए ।

"औद्योगिककलाएँ" शीर्षक के अन्तर्गत वैसी वस्तुओं के निर्माण के संबंध में उल्लेख किया जाए जो विशुद्ध उपयोगिता के विचारों से आगे बढ़ जाते हैं और कलाकृति के दायरे में पहुँच जाते हैं ।

(घ) औद्योगिक विकासकी संभावनाएँ और भावी विकास की योजनाएँ ।

(ङ.) श्रमिक और उनके मालिकों के संगठन ।

(च) औद्योगिक श्रम-कल्याण : औद्योगिक श्रमिकों की सामान्य स्थिति और उनकी मजदूरी के स्तर । वृद्धावस्था ... शिक्षा की लाभकारी योजनाओं चिकित्सा-सुविधाओं आदि के संबंध में निर्मित विधि-विधानों का कार्यान्वयन । श्रम-कल्याण का विशेष ख्याल ।

अध्याय - 6 : महाजनी व्यापार एवं वाणिज्य

(अ) महाजनी एवं वित्त :

(क) जिले में देशी महाजनी का इतिहास

(ख) जिले में उपलब्ध सामान्य उधार सुविधाएँ

1- ग्रामीण एवं शहरी ऋणग्रस्तता और सूदखोरी के प्रचलन की सीमा ।

2- प्राइवेट महाजनों और वित्तपोषकों की भूमिका, पुराने और प्रसिद्ध परिवार और ... आदि ।

3- संयुक्त स्टॉक बैंक ऋण एवं निवेश कम्पनी : सूद पर रूपया देनेवाली निम्नांकित शीर्षकों में जहाँ तक उपलब्ध हो सके दिया जाए स्थापना काल, शाखाओं की संख्या, जिले में कारोबार का परिमाण आदि ।

4- सहकारी उधार समितियाँ और बैंक ।

(ग) सामान्य बीमा और जीवन बीमा : कार्यरत प्रमुख कम्पनियाँ, दायरे में आनेवाले जोखिम, कारोबार की सीमा आदि का विवरण जहाँ तक उपलब्ध हो सके ।

।ग। सामान्य बीमा और जीवन बीमा ... कार्यरत प्रमुख कम्पनियों दायरे में आने वाले जोखिम, कारोबार की बीमा आदि का विवरण जहाँ तक उपलब्ध हो सके।

—10—

।ङ। औद्योगिक विकास में राजकीय सहायता : जिले में कितनी सहायता मिली है और इस दिशा में क्या प्रगति है।

।च। नोट और सिक्के : भारतीय संघ में शामिल रियासतों के सिक्के।

।आ। व्यापार एवं वाणिज्य

।क। व्यापार का स्वरूप : [illegible] प्रयोजन, लक्ष्य, परिमाण मूल्य आदि।

।ख। व्यापार-केन्द्र।

1- नियमित बाजारें।

2- थोक-व्यापार के केन्द्र और मण्डियाँ। व्यापार की वस्तुएँ, कुल उत्पादन और उनका वाणिज्य-जगत में सामान्य महत्व।

3- प्रमुख खुदरा बाजार।

4- मेला, हाट और अन्य ग्रामीण बाजार।

।ग। थोक और खुदरा व्यापार में सहयोग।

।घ। राजकीय व्यापार : उचित मूल्य की दूकान, राज्य व्यापार निगम के कार्य-कलाप आदि।

।ङ। व्यापारी संघ, उपभोक्ता [illegible] संगठनों तथा व्यापार समाचार के प्रचार-प्रसार के अंग।

।च। तौल एवं माप : पुराने यूनिट और अखिलभारतीय स्तर के मानक माप-तौल का प्रयोग।

अध्याय-7 : संचार

।क। प्राचीन काल के व्यापारमार्ग, उच्चपथ और सवारी के साधन।

।ख। पथ परिवहन।

1- राष्ट्रीय उच्चपथ एवं राज्य, स्थानीय बोर्ड और गाँव की सड़कें, उनकी लम्बाई, अवस्था एवं अनुरक्षण।

2- सवारी और वाहन : बोझ ढोनेवाल जानवर, बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी, साइकिल, स्वचलित वाहन, [illegible] आदि उनकी संख्या और महत्व।

3- सार्वजनिक यातायात के साधन : निजी बस और टैक्सी, ट्राम-वे आदि। सरकार और नगरपालिका द्वारा संचालित परिवहन सेवा।

(ग) रेल मार्ग : उसकी लम्बाई और उससे सम्बद्ध होनेवाले स्थान, प्रमुख स्टेशन माल-यातायात, जिले के आर्थिक जीवन में इसकी भूमिका आदि । रेल-सड़क प्रतियोगिता और यातायात के विनियम ।

(घ) जलमार्ग, नौघाट और पुल ।

1- जलमार्गों का स्वरूप और उनसे सम्बद्ध प्रमुख स्थान । जलमार्गों, नौघाटों और पुलों का निर्माण एवं अनुरक्षण ।

2- नाव, स्टीम-लंच, जहाज आदि ।

3- जलमार्ग द्वारा सार्वजनिक यातायात: निजी सेवाएँ और राजकीय प्रबंधाधीन सेवाएँ ।

(ङ.) वायु परिवहन : वायुमार्ग और हवाई अड्डा ।

(च) परिवहन के अन्यसाधन : रज्जुमार्ग आदि ।

(छ) यात्रा और पर्यटन सुविधाएँ : प्राचीन काल के विश्रामगृह और धर्मशाला, डाकबंगला और निरीक्षणगृह, होटल । यात्रा एजेंटों, गाइड आदि के कार्यकलाप ।

(ज) डाक तार और टेलीफोन : उपलब्ध सेवाएँ और उनके विस्तार की योजनाएँ ।

(झ) रेडियो और वायरलेस स्टेशन ।

(ट) परिवहन और संचार के क्षेत्र में मालिकों और कर्मचारियों के संगठन ।

अध्याय-8 : विविध व्यवसाय

(क) लोक प्रशासन जिसके अन्तर्गत स्थानीय और म्युनिसिपल सेवाएँ भी आती है । संख्या और महत्व । सरकारी सेवकों को दी जानेवाली खास सुविधाएँ, सरकारी कर्मचारी-संगठन ।

(ख) शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि शिक्षित वर्गीय व्यवसाय । संख्या और जिले के लोक जीवन में उनका महत्व और खास समस्याएँ यदि कोई हो ।

(ग) घरेलू और वैयक्तिक सेवाएँ : घरेलू नौकर, नाई, धोबी, दर्जी आदि । उनकी सामान्य आर्थिक स्थिति । श्रमिक संगठन ।

नोट: जहाँ प्राप्त सूचना का अभाव हो वहाँ एक अलग अध्याय देने की जरूरत नहीं है । ऐसे विषय का उल्लेख आर्थिक प्रवृत्तियों सम्बन्धी अगले अध्याय में किया जा सकता है ।

अध्याय-9 : आर्थिक प्रवृत्तियाँ

(क) जीविका के ढंग, कीमतों और मजदूरी के सामान्य स्तर और जीवन स्तर : उपभोग के सामान और शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों में सुसम्पन्न, मध्यम और निम्नवर्गीय लोगों के पारिवारिक बजट ।

(ख) विभिन्न धन्धों में नियोजन का सामान्य स्तर : कृषि से उद्योग और एक उद्योग से दूसरे उद्योग को अपनानेवाले लोगों की संख्या का अन्तरण । नियोजनालय ।

(ग) राष्ट्रीय योजना और सामुदायिक विकास : सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में जिले की भूमिका ।

अध्याय- 10 : सामान्य प्रशासन

अध्याय- 11 : राजस्व प्रशासन

(क) भू-राजस्व प्रशासन ।

1- भू-राजस्व निर्धारण एवं प्रबन्ध का इतिहास : संस्थाएँ और रैयतवारी जमींदारी तथा अन्य प्रकार की बन्दोबस्ती का कार्यचालन ।

2- भू-राजस्व के सर्वेक्षण, निर्धारण और वसूली की वर्त्तमान पद्धति ।

3- भू-राजस्व से आय और उससे सम्बद्ध विशेष मामले ।

(ख) भूमि सुधार :

1- भूमिपति और रैयत के बीच सम्बन्ध : ऐसे सम्बन्ध और रैयतवर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए किए गये उपायों का इतिहास ।

2- पुराने जमाने के कृषक आन्दोलन, भू-दान, वर्तमान संगठन आदि ।

3- ग्रामीण मजदूरी और कृषि मजदूरों की स्थिति ।

(ग) केन्द्र और राज्य दोनों के राजस्व के अन्य श्रोतों का प्रशासन ।

अध्याय-12 : विधि, व्यवस्था और न्याय

(क) जिले में अपराध की घटनाओं की स्थिति : विभिन्न प्रकार के अपराध और उनका आपेक्षित महत्व - लूटपाट, गैंग डकैती, तस्करी, सीमा पर लूटमार, सेक्स सम्बन्धी अपराध आदि ।

(ख) पुलिस बल का संगठन : नियमित पुलिस, रेलवे पुलिस, नशाबन्दी दस्ता, भ्रष्टाचार निरोध दस्ता, होमगार्ड आदि ।

(ग) कारा और हवालात ।

1- कारागृहों और हवालातों के स्थान तथा कारा-संगठन ।

2- कारा-अनुशासन ।

3- कैदियों का कल्याण : व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षण सुविधाएँ । मनोरंजन आदि । विजिटर्स बोर्ड के कार्यकलाप ।

4- विशिष्ट वर्ग के कैदियों, किशोर अपराधियों, राजनीतिक बन्दियों आदि के साथ व्यवहार ।

(घ) दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का संगठन : पंचायत-अदालतों एवं अन्य विशेष प्रयोगों के सम्बन्ध में तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के प्रश्न पर विशेष रूप से उल्लेख किया जाए ।

(ङ) लिये गये मामलों का स्वरूप, उनकी संख्या तथा खास विशेषता आदि कोई हो ।

(च) विधि-व्यवसाय एवं बार एसोसियेशन ।

अध्याय-13 : अन्य विभाग

(क) लोक निर्माण विभाग ।

(ख) कृषि विभाग ।

(ग) पशुपालन विभाग ।

(घ) वन विभाग ।

(ङ) उद्योग विभाग ।

(च) सहकारिता विभाग ।

नोट: प्रत्येक राज्य के संघटनात्मक ढाँचे का अनुसरण करते हुए सूचनाएँ विन्यस्त की जाएँ । प्रत्येक विभाग के जिला स्तर के संघठनात्मक ढाँचे, उनके कार्य एवं विशेष उपलब्धियों का विवरण अवश्य दिया जाए ।

अध्याय-14 : स्थानीय स्व-शासन

(क) जिले में स्थानीय स्वशासन का इतिहास ।

(ख) नगर निगम : संगठन एवं ढाँचा । अधिकार एवं कर्त्तव्य । वित्तीय श्रोत । विशेष उपलब्धियाँ यदि कोई हो जैसे कि परिवहन सेवाओं, दुग्ध आपूर्ति केन्द्रों आदि का प्रबन्ध ।

(ग) नगरयोजना और लोक स्वास्थ्य ।

(घ) जिला और स्थानीय बोर्ड : संगठन एवं ढाँचा । अधिकार और कर्त्तव्य । वित्तीय श्रोत । विशेष उपलब्धियाँ यदि कोई हो ।

(ङ) पंचायत : संगठन एवं ढाँचा । अधिकार और कर्त्तव्य । वित्तीय श्रोत विशेष उपलब्धियाँ, यदि कोई हो ।

(च) अन्य स्थानीय स्वशासी निकाय : पत्तनप्रबन्ध आदि ।

अध्याय-15 : शिक्षा और संस्कृति

(क) ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि : प्राचीनकाल, मध्यकाल और प्रारंभिक आधुनिककाल के विद्या केन्द्र । पश्चिमी शिक्षा का प्रारंभ तथा जिले में दिये गये पथप्रदर्शक कार्य

(ख) साक्षरता और शिक्षा का स्तर : साक्षरता का विकास । साक्षरों, मैट्रीकुलेट और स्नातकों की संख्या । महिलाओं, पिछड़े वर्गों और जनजातियों में शिक्षा का प्रसार ।

(ग) सामान्य शिक्षा : प्राथमिक और बुनियादी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय ।

(घ) व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालय और महाविद्यालय : विधि चिकित्सा, अभियंत्रण, प्रविधि, वाणिज्य आदि संबंधी विद्यालय और महाविद्यालय ।

(ङ) ललित कलाओं के संवर्द्धन के लिए विद्यालय : संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि ।

(च) प्राच्य विद्यालय और महाविद्यालय ।

(छ) विकलांगों की शिक्षा : बधिर और अन्धे ।

(ज) वयस्क साक्षरता, समाज शिक्षा और जनसाधारण में सांस्कृतिक अभ्युदय के उपाय ।

(झ) सांस्कृतिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक समितियाँ : स्थान, उद्देश्य, सदस्यता, महत्वपूर्ण देन आदि ।

(ञ) सांस्कृतिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाएँ : कहाँ से प्रकाशित होती है, उद्देश्य और संपादकीय नीति, विक्रीत प्रतियों की संख्या आदि ।

(ट) पुस्तकालय, संग्रहालय तथा वानस्पतिक एवं जैविक ।

अध्याय-16 : चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य सेवाएँ

(क) प्राचीन काल के लोकस्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का सर्वेक्षण ।

(ख) जन्म-मृत्यु के आँकड़े : स्वास्थ्य का सामान्य स्तर जैसाकि आँकड़े से पता चलता है । मृत्यु-दर के प्रमुख कारण ।

(ग) राज्य में सामान्य रूप से प्रचलित बीमारियाँ ।

(घ) सरकारी अस्पताल और दवाखाना : चिकित्सा विभाग का संगठन । अस्पतालों की संख्या और उनके स्थान, डाक्टरों और नर्सों की संख्या, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शय्याओं की संख्या दी जानेवाली विशेष सुविधाएँ, व्यय आदि । विशेष संस्थाओं जैसे मानसिक अस्पताल आदि के सम्बन्ध में खास ध्यान दिया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में दी जानेवाली चिकित्सा सुविधाएँ, मातृत्व एवं शिशु कल्याण आयुर्वेद और यूनानी अस्पताल आदि ।

(ङ.) गैर सरकारी अस्पताल और नर्सिंग होम : शहरी और ग्रामीण विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य चिकित्सकों और विशेषज्ञों की संख्या ।

(च) जन्म नियंत्रण और पोषाहार जैसे लोकस्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान के प्रचार-प्रसार के निमित्त संचालित चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य शोध केन्द्र और संस्थाएँ ।

(छ) स्वच्छता ।

1- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकस्वास्थ्य और स्वच्छता के अनुरक्षण के लिए प्रशासनिक संगठन ।

2- स्वास्थ्य और स्वच्छता संगठन के कार्यकलाप : गन्दी बस्तियों की सफाई भूगर्भ जल निकास, सुरक्षित जलापूर्ति आदि । मलेरिया निरोध संबंधी उपाय, टीका आदि ।

अध्याय-17 : अन्य समाज सेवाएँ

(क) श्रम कल्याण ।

(ख) मद्यनिषेध : मद्यनिषेध संबंधी कानूनों के उद्देश्य लागू करने के सिलसिले में उत्पन्न होनेवाली बाधाएँ, मद्यनिषेध संबंधी अपराधों की संख्या और [illegible] सफलता की मात्रा ।

(ग) पिछड़े वर्गों और जनजातियों का उत्थान ।

(घ) धर्मार्थ सम्पत्ति से संचालित संस्थायें : (चैरिटेबुल इंडोमेंट्स) : पब्लिक ट्रस्ट और चैरिटेबुल इंडोमेंट्स के नियंत्रण के निमित्त संगठन ।

नोट - विभिन्न राज्यों में इनके कार्यकलापों के स्वरूप पर ही मुख्यत: विवेचन की प्रक्रिया निर्भर करेगी ।

अध्याय - 18 : लोक जीवन और स्वैच्छिक समाज सेवा संगठन

(क) राज्य और केन्द्रीय विधान मण्डलों में जिले का प्रतिनिधित्व ।

(ख) राजनैतिक दल और राजनैतिक संगठन : स्थानीय और अखिल भारतीय । विभिन्न कालों में जिले पर उनका प्रभाव जैसा कि विगत निर्वाचनों से यह प्रकट होता है ।

(ग) समाचारपत्र : जिले से प्रकाशित होनेवाले समाचारपत्र और उनका महत्व जिले से बाहर प्रकाशित वैसे समाचारपत्र जिनकी खपत जिले में सामान्य रूप से है ।

(घ) स्वैच्छिक समाजसेवा संगठन, जैसे अनाथालय, उद्धारगृह, महिला समाज, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समितियाँ आदि । सभी प्रमुख संगठनों के इतिहास और कार्यकलाप अलग-अलग दिये जाएँ ।

नोट:- चुनाव आयुक्त के प्रतिवेदनों पर आधारित केवल सामान्य प्रवृतियों और अविवादास्पद तथ्यों का उल्लेख किया जाय । विवादास्पद एवं संदेहास्पद प्रश्नों को छोड़ दिया जाय ।

अध्याय - 19 : दर्शनीय स्थान

सभी ऐतिहासिक स्थान और पर्यटन केन्द्र, तीर्थ स्थान, वाणिज्य एवं व्यापार केन्द्र तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थान ।

नोट - नामों की पूर्णत: वर्णानुक्रम में विन्यस्त किया जाए ।

परिशिष्ट : प्रमुख सारणी

1- क्षेत्रफल और जनसंख्या, शहरी और ग्रामीण ।

2- भाषावार जनसंख्या ।

3- धर्म के अनुसार जनसंख्या और अनुसूचित जातियां और जनजातियां ।

4- तापमान, वर्षा और आर्द्रता ।

5- सिंचित और असिंचित क्षेत्र और प्रमुख फसलों वाले क्षेत्र ।

6- भू-राजस्व मांग और अनुक्रमिक बन्दोबस्त ।

7- केन्द्र और राज्य सरकार से संबंधित सरकारी आय-व्यय ।

8- स्थानीय स्वशासी निकायों के संबंध में सरकारी आय-व्यय ।

9- साक्षरता और शिक्षा : साक्षरों की संख्या और विद्यालय तथा महाविद्यालयों में विभिन्न स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या ।

10- जीवन निर्वाह का ढंग ।

11- मेलों की सूची ।

12- पशुओं की संख्या ।

13- डाकबंगलों, विश्रामगृहों, परिसदनों और निरीक्षण बंगलों की सूची ।

14- प्रमुख उत्पादनों का हवाला देते हुए औद्योगिक और खनिज उत्पादन ।

नोट :- इन सारणियों में से कोई भी सारणी मूलग्रंथ के उपयुक्त अंश के साथ ही अथवा पुस्तक के अंत में जैसा वांछनीय हो, दी जा सकती है । इन सारणियों के निर्माण में जिला स्तर से एक कदम नीचे की सामान्यत: तहसील की राजस्व इकाइयों के संबंध में सांख्यिकीय सूचनाएं दी जाएं । अनेक विषयों पर भिन्न-भिन्न राज्यों से प्राप्त सूचनाओं में एकरूपता नहीं है बल्कि उनमें काफी विभिन्नताएं हैं । अतएव स्थानीय हालात एवं परिस्थितियों के आलोक में राज्य सम्पादक इन सूचनाओं में तथावश्यक सामंजन स्थापित कर सकते हैं ।

परिशिष्ट - 3

11 शब्दावली

अनुक्रमणिका से शब्दावली अलग होनी चाहिए और पर अनुक्रमणिका से पहले रहनी चाहिए । भारतीय प्रयोग के शब्द जो अंग्रेजी भाषी जन समुदाय में प्रचलित हो चुके हैं जैसे राजा, नवाब आदि शब्दावली के अन्तर्गत नहीं रखे जाएं ।

(2) अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका संक्षिप्त किन्तु व्यापक हो तथा इसके अन्तर्गत व्यक्तियों और स्थानों के नाम एवं वृहत् विषय शीर्षक दिये जाएं । सामान्य तौर पर 750 टंकित पृष्ठों के एक गजेटियर के लिए लगभग 22 टंकित पृष्ठों की अनुक्रमणिका समुपयुक्त होगी ।

(3) संदर्भ ग्रन्थ-सूची

पुस्तक के अन्त में प्रमुख संदर्भ ग्रन्थों की एक सूची दी जानी चाहिए जिसमें खासकर वैसे ग्रन्थों का समावेश हो जो स्थानीय इतिहास और लोक जीवन पर प्रभूत प्रकाश डालते हों ।

(4) मानचित्र

एक सामान्य मानचित्र दिया जाए जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें दर्शायी जाएं :-

1- प्रशासनिक विभाजन : अनुमण्डल, तहसील और पुलिस स्टेशन अथवा थाना ।
2- बड़े और छोटे नगर ।
3- रेलवे लाइन ।
4- सड़क : राष्ट्रीय उच्चपथ तथा पक्की और कच्ची सड़कें ।
5- नहर और अन्तर-स्थलीय जलमार्ग ।
6- हवाई अड्डे ।
7- नदियां ।
8- डाकबंगले और निरीक्षण बंगलें ।

इसके अतिरिक्त एक या दो ऐसे मानचित्र दिये जाएं जिनमें आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला गया हो । इन मानचित्रों में निम्नलिखित बातें दिखलायी जाएं :-

1- आबादी का सघनता : तहसील और नगर ।
2- सामुदायिक विकास केन्द्र ।

3- मुख्य फसलें ।

4- प्रशिक्षण केन्द्र ।

5- औद्योगिक केन्द्र ।

6- बांध और सिंचाई परियोजनाएं ।

7- पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल ।

सामान्य मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार करवाया जाए और यह तविस्तार और सही-सही हो । किन्तु आर्थिक जीवन को दर्शाने वाले मानचित्र खाकामानचित्र हो सकते हैं जिनमें केवल प्रतीकों का प्रयोग किया जाए ।